



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

www.centralbankofindia.co.in Build a better life around us

शाखा कार्यालय, टॉक रोड, जयपुर 302015

फोन: 0141-2743055, ई-मेल: bmjaip1478@centralbank.co.in

ई-नीलामी/विक्रय सूचना

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का सं. 54) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में 'जहाँ है जैसी है' के आधार पर निम्नलिखित संपत्तियों की नीलामी कर रहा है।

अचल संपत्तियों का विवरण

ऋणी/बंधककर्ता का नाम तथा शाखा का नाम	13(2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि	अचल संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य/शरोहर राशि/ बोली वृद्धि राशि	खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड
सेनी एन्टरप्राइजेज, 226/3, हरसौली मोड़, मण्डा इण्डस्ट्रीयल एरिया के पास, चौमू, जिला जयपुर	रु. 1,64,86,971/- दिनांक 22.05.2016 से व्याज + प्रभार	सम्पत्ति के सभी अधिभ्र अंग गठित होते हैं जो कि जमानतदार: (1) श्रीमती रितिका सेनी पुत्री श्री रतनलाल सेनी निवासी-प्लॉट नं. 96, राधा कृष्णा नगर, मान्यावास (मानसरोवर) सांगानेर, जयपुर के स्वामित्व में प्लॉट संख्या 92, राधा कृष्णा नगर, मान्यावास (मानसरोवर) सांगानेर, जयपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 291.66 वर्गगज है जिसमें सम्पत्ति के सभी अधिभ्र अंग गठित होते हैं संपत्ति का विवरण इस प्रकार है- चारों ओर की सीमाएं:- पूर्व में: रोड़ 30 फीट चौड़ी, उत्तर में: रोड़ 30 फीट चौड़ी, पश्चिम में: प्लॉट नं. 101 एवं 101ए, दक्षिण में: प्लॉट नं. 93	रु. 67,00,000/- रु. 6,70,000/- रु. 10,000/-	खाता सं. 3054010323 IFSC Code: CBIN0281478

ई-नीलामी की नियम व शर्तें:- 1. नीलामी ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया के जरिये वेबसाइट <https://www.bankeauctions.com> पर होगी। नीलामी की दिनांक एवं समय: 31.10.2019 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक के मध्य (दिनांक के अंतिम 5 मिनट की स्वतः समयावृद्धि वाक्यांश के साथ) ई-नीलामी 'जहाँ है जैसी है' वहाँ जो कुछ भी है' के आधार पर होगी। 2. वेब पोर्टल पर बोली तथा कागजी प्रतियां शाखा में जमा कराने हेतु अंतिम दिनांक 29.10.2019 को सांय 04:00 बजे तक होगी। 3. नीलामी/बोली प्रक्रिया ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया के जरिये वेबसाइट <https://www.bankeauctions.com> पर होगी। बोलीदाताओं को ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया की विस्तृत शर्तों हेतु वेबसाइट के जरिये जाने की सलाह दी जाती है। 4. इच्छुक बोलीदाता को अपने नाम को पोर्टल <https://www.bankeauctions.com> पर पंजीकृत कर तथा निजुक यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। संबंधित बोलीदाता ई-नीलामी में भाग लेने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मैसर्स सी 1 इण्डिया प्रा. लि. गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव, श्री विनोद चौहान समर्पक सं. 09813887931 से प्राप्त कर सकते हैं गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव हेल्लपाइन नं. +91-1244302020/21/22/23/24, Help Line e-mail ID: support@bankeauctions.com 5. धरोहर राशि RTGS/NEFT/Fund Transfer के जरिये दिनांक 29.10.2019 तक या उससे पूर्व निम्न दिये गये विवरण के अनुसार संबंधित खाते में जमा की जायेगी। 6. बोलीदाता के द्वारा वेबपोर्टल में पंजीकरण के उपरान्त, इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को वेबपोर्टल/क्रेता निम्नलिखित दस्तावेज की प्रतियां बोली जमा कराने की अंतिम दिनांक से पूर्व अपलोड करनी आवश्यक है यथा 1. NEFT/RTGS चालान की प्रति 2. पैन कार्ड की प्रति 3. पहचान का साक्ष्य (KYC) स्वहस्ताक्षरित वोटर आईडी कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/आधार कार्ड इत्यादि की प्रति 4. पते के साक्ष्य की प्रति जिसके बिना बोली निस्त किये जाने योग्य होगी। 7. धरोहर राशि सफलतम/उच्चतम बोलीदाता की दशा में समायोजित कर ली जायेगी अन्यथा विक्रय सम्पूर्ण होने के 7 दिवसों के भीतर लौटा दी जायेगी धरोहर राशि को कौं व्याज देय नहीं होगा। 8. इच्छुक बोलीदाता संपत्तियों का निरीक्षण स्थान पर दिनांक 29.10.2019 को प्रातः 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे के मध्य संबंधित शाखा के माध्यम से कर सकते हैं। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से उपरोक्तानुसार शुरू होगी। बोलीदाता को उच्चतम बोली (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) ऑनलाइन नीलामी बन्द होने तक जमा करायेगा उसे प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के आधार पर सफलतम बोलीदाता घोषित किया जायेगा। 10. सफलतम बोलीदाता बोलीराशि का 25% (पूर्व में भुगतान की गई धरोहर राशि को शामिल करते हुए) उसके पक्ष में विक्रय होते ही तुरन्त तथा शेष राशि विक्रय पुष्टिकरण के 15 दिवसों के भीतर जमा करावेगा। यदि सफलतम बोलीदाता उपरोक्तानुसार विक्रय राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा राशि जब्त कर ली जायेगी। 11. समस्त प्रभार किसी भी अधिकरण को बकाया, परिवहन, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीकरण के खर्चे इत्यादि जो भी लागू होते हैं सफलतम बोलीदाता द्वारा ही वहन किये जायेगे। 12. यदि ऋणी बैंक को कुल बकाया राशि का सम्पूर्ण भुगतान नीलामी की दिनांक से पूर्व कर देता है तो संबंधित नीलामी रोक दी जायेगी/निस्त कर दी जायेगी। 13. बैंक नीलामी की नियम तथा शर्तों में बिना कोई कारण बताये स्थगन/रद्द करने का अधिकार आरक्षित रखता है। 14. संपत्ति सं संबंधित जानकारी एवं अन्य विवरण हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया टॉक रोड़ शाखा, श्री अमल सिंह शाखा प्रबंधक मो. 9672993105, ई-मेल bmjaip1478@centralbank.co.in अथवा मैसर्स सी 1 इण्डिया प्रा. लि. गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव से सम्पर्क कर सकते हैं।

सरफैसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 15 दिवस की वैधानिक विक्रय सूचना

ऋणीयां/जमानतदारों को उपरोक्त वर्णित राशि का नियत तिथि तक व्याज एवं सहायक खर्चों के साथ ई-नीलामी की दिनांक से पूर्व भुगतान करने हेतु सूचित किया जाता है जिसमें चूक होने पर सम्पत्ति नीलाम/बेच दी जायेगी तथा बकाया राशि यदि कोई है तो व्याज लागत के साथ वसूल की जायेगी।

दिनांक: 03.10.2019, स्थान: जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया